"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 मई 2011—वैशाख 16, शक 1933

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2011

क्रमांक ई-01-02/2011/एक/2.—श्री प्रसन्ना आर., भा.प्र.से. (2004) उप सचिव, छत्तीसगढ़ मंत्रालय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उप सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही उन्हें मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. श्री प्रसन्ना आर. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. कमल प्रीत सिंह केवल मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, रायपुर के प्रभार से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2010

क्रमांक एफ 1-31/2010/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री राजेश श्रीवास्तव, सहायक महाप्रबंधक, सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ मर्यादित रायपुर (छ.ग.) को श्रम विभाग के अधीनस्थ श्रमायुक्त कार्यालय में उप श्रमायुक्त के पद पर कार्य भार ग्रहण करने के दिनांक से 2 वर्ष की अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति पर तत्काल प्रभाव से पदस्थ करता है.

2. श्री राजेश श्रीवास्तव की प्रतिनियुक्ति अवधि में इनका वेतन अपर श्रमायुक्त के रिक्त पद के विरुद्ध आहरित किया जायेगा.

3. प्रतिनियुक्ति की सेवा शर्तों का प्रकाशन पृथक से किया जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

समाज कल्याण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2011

क्रमांक एफ 1-11/2011/सक/26.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 यथा संशोधित 2006 की धारा 4 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, अनुसूची के कॉलम 02 से 03 में दर्शाये अनुसार क्षेत्र हेतु कॉलम 04 में निम्नानुसार प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारियों को किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित करती है :—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	जिले का नाम (2)	क्षेत्र (3)	बोर्ड के अध्यक्ष (4)
1.	रायपुर	रायपुर	श्रीमती गरिमा आर्य, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर
2.	राजनांदगांव	राजनांदगांव	श्री शैलेष अच्युत पटवर्धन, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजनांदगांव.

No. F 1-11/2011/SW/26.—In exercise of the powers conferred by the sub-sections (1) and (2) of the section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2000 as amended 2006 the State Government hereby notify following First Class Judicial Magistrates as the Chairman of the Juvenile Justice Board in the column 4 for the area shown in the column No. 2 to 3 of the said Schedule :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the District (2)	Area (3)	Name of the Chairman of the Board (4)
1.	Raipur	Raipur	Smt. Garima Arya, First Class Judicial Magistrate, Raipur.
2.	Rajnandgaon	Rajnandgaon	Shri Shailesh Achyut Patwardhan, First Class Judicial Magistrate, Rajnandgaon.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. पी. राव, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 15 अप्रैल 2011

रा.प्र.क्र.-01/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पण्डरिया	कंझेटा प. ह. नं. 56	1.301	कार्यपालन अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, प्र.मं.ग्रा.स.यो., कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)	प्र.मं.ग्रा.स.यो. भगतपुर से सैहामालगी सड़क निर्माण सार्वजनिक प्रयोजनार्थ.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पण्डरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 14 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 52/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	सरवानी प. ह. नं. 39	1.263	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा, मुख्यालय खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत सरवानी माइनर नहर आर.डी. क्र. 2400 मी. से 3120 मी. तक निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 53/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	लंकापाली प. ह. नं. 37	1.435	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा, मुख्यालय खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत सुलोनी माइनर नहर आर.डी. क्र.1590 मी. से 2490 मी. तक निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 54/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	लंकापाली प. ह. नं. 37	2.160	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा, मुख्यालय खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत केलापाली माइनर नहर आर.डी. क्र. 320 मी. से 1580 मी. तक निर्माण हेतु भू-अर्जन

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 55/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	छोटेभण्डार प. ह. नं. 39	0.517	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना निर्माण संभाग, लाखा, मुख्यालय खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत बेलपाली माइनर नहर आर.डी. क्र. 0 मी. से 260 मी. तक निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 56/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	छोटे भण्डार प. ह. नं. 39	1.126	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना निर्माण संभाग, लाखा, मुख्यालय खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत अमलीभौना माइनर नहर आर.डी. क्र. 2400 मी. से 2880 मी. तक निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 57/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	बुनगा प. ह. नं. 40	0.506	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा, मुख्यालय खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत बुनगा माइनर-2 नहर आर.डी.क्र. 18 मी. से 214 मी. तक निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 58/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	पुसल्दा प. ह. नं. 28	1.446	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा, मुख्यालय खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत तिलगी माइनर नहर आर.डी.क्र. 900 मी. से 1500 मी. तक निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 59/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	गोतमा प. ह. नं. 37	0.781	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना निर्माण संभाग, लाखा, मुख्यालय खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत टिनमिनी माइनर नहर आर.डी.क्र. 930 मी. से 1450 मी. तक निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 60/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	अमलीभौना प. ह. नं. 39	0.945	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना निर्माण संभाग, लाखा, मुख्यालय खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत अमलीभौना माइनर नहर आर.डी.क्र. 2880 मी. से 3260 मी. तक निर्माण हेतु भू-अर्जन

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 61/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक संन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	छिछोर उमरिया प. ह. नं. 41	2.420	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा, मुख्यालय खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत टिनमिनी माइनर नहर आर.डी.क्र. 1450 मी. से 3395 मी. तक निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 62/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	तेतला प. ह. नं. 29	6.613	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा, मुख्यालय खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत कर्राजोर माइनर नहर आर.डी.क्र. 0 मी. से 3200 मी. तक निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 63/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी.	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	नन्देली प. ह. नं. 37	0.508	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा, मुख्यालय खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत सुलोनी माइनर नहर आर.डी.क्र. 0 मी., से 234 मी. तक निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 अप्रैल 2011

क्रमांक-क/भू-अर्जन/01.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	मल्दाकला प. ह. नं. 23	0.239 लगभग	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चांपा.	जमड़ी माइनर नं. 2 नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 अप्रैल 2011

क्रमांक-क/भू-अर्जन/02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	बुन्देला प. ह. नं. 15	0.242 लगभग	कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	बुन्देला माइनर नं. 1 नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 अप्रैल 2011

क्रमांक-क/भू-अर्जन/03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	मल्दाकला प. ह. नं. 23	1.463 लगभग	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चांपा.	हसौद वितरक नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 अप्रैल 2011

क्रमांक-क/भू-अर्जन/04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक-प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	हसौद प. ह. नं. 26	0.109 लगभग	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चांपा.	हसौद वितरक नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 अप्रैल 2011

क्रमांक-क/भू-अर्जन/05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	घिवरा प. ह. नं. 24	0.045 लगभग	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चांपा.	घिवरा माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 अप्रैल 2011

क्रमांक-क/भू-अर्जन/06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	सोनादह प. ह. नं. 19	0.097 लगभग	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चांपा.	सोनादह माइनर नं. 2 नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 अप्रैल 2011

क्रमांक-क/भू-अर्जन/07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	हसौद प. ह. नं. 26	0.186 लगभग	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चांपा.	चिस्दा माइनर नं. 2 नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 अप्रैल 2011

क्रमांक-क/भू-अर्जन/266.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	खजुरानी प. ह. नं. 11	1.437 लगभग	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6, सक्ती.	करौवाडीह माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 अप्रैल 2011

क्रमांक-क/भू-अर्जन/267.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	खम्हारडीह प. ह. नं. 11	0.299 लगभग	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6, सक्ती.	करौवाडीह माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 अप्रैल 2011

क्रमांक-क/भू-अर्जन/268.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	नवापारा प. ह. नं. 12	0.049 लगभग	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	बरभांठा ब्रांच सब माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अप्रैल 2011

क्रमांक-क/भू-अर्जन/09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	बिलारी प. ह. नं. 16	0.685 लगभग	कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	बुन्देला माइनर नं. 1 नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अप्रैल 2011

क्रमांक-क/भू-अर्जन/10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खानें (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	बुन्देला प. ह. नं. 15	0.641 लगभग	कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	बुन्देला माइनर नं. 2 नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अप्रैल 2011

क्रमांक-क/भू-अर्जन/11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	बारगांव प. ह. नं. 13	0.125 लगभग	कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	भंवतरा उप शाखा नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अप्रैल 2011

क्रमांक-क/भू-अर्जन/269.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियमं, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कटौद प. ह. नं. 06	0.036 लगभग	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 5 खरसिया.	कांसा ब्रांच माइनर नं. 2 नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अप्रैल 2011

क्रमांक-क/भू-अर्जन/270.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कटौद प. ह. नं. 06	0.076 लगभग	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 5 खरसिया.	डाय. कटौद माइनर 4 नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अप्रैल 2011

क्रमांक-क/भू-अर्जन/271.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कटौद प. ह. नं. 06	0.113	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 5 खरसिया.	कांसा ब्रांच माइनर नं. 1 नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अप्रैल 2011

क्रमांक-क/भू-अर्जन/272.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कटौद प. ह. नं. 06	0.057 लगभग	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 5 खरसिया.	कटौद ब्रांच माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अप्रैल 2011

क्रमांक-क/भू-अर्जन/273.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	डभरा प. ह. नं. 10	0.178 लगभग	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 5 खरसिया.	छुहीपाली सब डि. नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अप्रैल 2011

क्रमांक-क/भू-अर्जन/274.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	सपिया प. ह. नं. 09	0.387 लगभग	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 5 खरसिया.	कुरदा वितरक नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अप्रैल 2011

क्रमांक-क/भू-अर्जन/275.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	सरजुनी प. ह. नं. 82	0.497	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 5 खरसिया.	तिउर उप वितरक नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2011

क्रमांक 198/भू-अर्जन/02 अ/82/वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-कसडोल
- (ग) नगर/ग्राम-हसुंवा, प. ह. नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.289 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	2702/1	0.101
	2710	0.016
	2711	0.040
	2712/3	0.052
	2712/4	0.080
योग	5	0.289

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-कोटियाडीह नाला पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य हसुवा की ओर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2011

क्रमांक 199/भू-अर्जन/01 अ/82/वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-कसडोल
- (ग) नगर/ग्राम-कोटियाडीह, प. ह. नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.199 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	242/1	0.024
	242/2	0.024
	254/2	0.049
	255/1	0.049
	255/2	0.053
योग	5	0.199

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-कोटियाडीह नाला पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 26 अप्रैल 2011

क्रमांक/2359/भू-अर्जन/कले./2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-कांकेर
- (ग) नगर/ग्राम-बरदेभाठा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.609 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	444, 445/1	1.609
योग	2	1.609

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-नक्सले पीड़ित परिवारों के पुनर्वास हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. खाखा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 2 अप्रैल 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-घरघोड़ा

(ग) नगर/ग्राम-भेण्ड्रा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-16.689 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
490	0.012
494	0.481
508	0.478
495/1	0.169
496/1	0.110
496/2	0.078
497	0.125
498	0.117
499/1	0.061
499/3	0.040
517/4	0.314
499/2	0.486
500	0.745
513	0.749
501/1	0.137
501/2	0.129
501/3	0.040
501/4	0.809
501/5	0.274
501/6	0.421
501/7	0.028
501/8	0.247
501/9	0.097
501/10	0.322
501/11	0.213
501/12	0.060
501/13	0.523
503/1	0.103
501/14	0.128
501/15	0.384
501/16	0.233
503/2	0.116
502	0.113
506	0.433
504/1	0.458
504/2	0.101
504/3	0.182
505	1.396
504/4	0.222
504/5	0.448
504/6	0.456
509	0.607
510	0.624
511	0.405
512	0.073
514	0.121
515	0.189
519	0.031
516/1	0.235
517/1	1.179
517/3	0.162
517/5	0.063
517/2 क	0.647
517/2 ख	0.162
518	0.153
योग 55	16.689

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पांवर ग्रिड कार्पोरेशन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 अप्रैल 2011.

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-तमनार
- (ग) नगर/ग्राम-बरपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-30.876 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
434	0.194
462	0.457
435/1	0.012
436	0.038
439	0.405
471/1	0.081
471/4	0.293
438/1	0.809
438/7	0.704
456/2	0.329
438/2	0.243
438/3	0.696
442/1	0.417
438/4	0.429
438/5	0.599
438/6	0.632
456/1	0.624
440	0.938
464	0.696
441	1.295
442/2	0.753
443	0.507
444/1	0.581
444/3	0.178
444/6	0.805
444/2	0.389
444/4	0.121
444/5	1.083
445/1	1.554
445/2	0.405
446	0.450
447	0.466
465	0.967
448/3	0.263
448/4	1.214
450	0.321
459	0.094
461/1	0.195
472	0.141
460	0.687
461/2	0.150
461/3	0.073
463	2.124
466	0.983
467/1	0.215
467/2	0.356
468	0.397
473/1	0.012
469	0.616
470/1	0.809
470/4	0.956
470/5	0.012
470/6	0.335
470/2	0.809
470/11	0.318
470/3	1.068
471/2	0.416
471/3	0.162
योग 58	30.876

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पावर ग्रिड कार्पोरेशन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 अप्रैल 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 64/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कुकुर्दा, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-59.117 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
206/3	0.117
237	0,231
414/1	0.224
214	0.802
230	1.291
359/2/क	0.607
207/1	0.045
207/2	0.255
207/3	0.182
211/1	0.071
218/2	0.049
225/1	0.267
335/1	0.194
231/2	0.328
386/3	0.077
203	0.583
347	0.845
298	0.275
389	0.259
393	0.409
349	0.809
210/2	0.060
220/2	0.085
227/2	0.025
362	0.717
390	0.409
223	0.049
219	0.668
246	0.099
418	0.466
353	0.138
358	0.364
359/6	0.040
369	0.287
407	0.405
204/3	0.202
213/11	0.069
213/4	0.073
215/1	0.089
372/8	0.283
388/2	0.247
388/4	0.150
388/8	0.045
424/2	0.202
424/8	0.308
299	1.489
213/3	0.267
213/5	0.036
213/10	0.069
213/12	0.032
250/1	0.102
198/2	0.425
335/5	0.129
335/9	0.304
374/4	0.170
374/7	0.110
374/9	0.235
356/7	0.083
212/3	0.125
403	0.324
209/2	0.077
171/1	0.142
227/3	0.040
244	0.134
204/1	0.214
213/8	0.360
346/4	0.502
204/5	0.089
204/6	0.154
213/1	0.611
329	0.473
330	0.304
346/3	0.809

(1)	(2)	(1)	(2)
355/1	0.388	350	0.638
357/11	0.134	375	0.093
357/9	0.097	238	0.299
372/1	0.190	242	0.267
386/1	0.295	377	0.405
231/1	0.312	205	0.287
372/7	0.162	239	0.235
357/12	0.040	241	0.587
394	0.409	249	0.769
409	0.283	250/2	0.405
217	0.656	371	0.210
245	0.328	382	0.396
346/2	1.011	397	0.858
212/2	0.202	400	0.170
200	0.498	356/4	0.174
340	0.425	402	0.227
173	0.380	424/3	0.186
404	0.227	236	0.190
419	1.007	356/8	0.081
213/2	0.458	356/3	0.166
224	0.567	250/3	0.202
359/4	0.692	250/4	0.101
229	0.429	385/1	0.299
234	0.374	233	0.299
243	0.194	201/3	0.077
248	1.331	325/4	1.068
215/3	0.129	334	0.967
296	1.455	417	0.283
387/2	0.437	327/1	1.765
399	1.121	332	0.628
411	0.526	335/4	0.154
212/1	1.292	335/8	0.178
359/3	0.486	415	0.142
357/13	0.162	331	0.162
348	0.101	335/11	0.146
211/2	0.142	335/2	0.097
232	1.327	335/6	0.129
360	0.405	335/7	0.121
201/2	0.251	328	0.247
387/1	0.441	339/1	0.381
213/6	0.259	385/3	0.202
213/7	0.057	346/1	0.607
188	0.405	338/1	0.364
240	0.356	344/1	0.093
297	0.692	352	0.255
396	0.781	416	0.182

(1)	(2)
221	0.202
योग 166	59.117

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 अप्रैल 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 65/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-डुमरपाली, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-29.040 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
8/2	0.607
52/1	0.243
20	0.587
22	0.486
41	0.413
8/9	1.214
32	0.628
8/3	0.405
26/3	0.202
58	0.688
8/5	0.809
19	1.044
8/7	0.809
8/4	1.214
31	0.053
33	0.158
38	0.089
39	0.802
8/6	1.011
17	1.267
21/2	0.291
56/2	0.882
52/2	0.162
8/8	0.105
28	0.991
15/1	0.227
52/3	0.162
21/1	0.291
35	2.088
23	0.894
51	0.186
13/1	5.816
24/1	0.680
37/1	2.152
37/2	0.332
56/1	1.052
योग 36	29.040

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 अप्रैल 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 66/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम-साल्हेओना, प. ह. नं. 20

(घ) लगभग क्षेत्रफल-18.472 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	16/17	0.405
	16/14	0.809
	16/48	0.809
	16/49	0.809
	250/1	0.239
	16/8	0.081
	16/56	0.809
	243/1	1.238
	16/26	0.405
	237	0.405
	232/1	0.239
	16/58	0.809
	16/22	1.011
	243/2	0.526
	243/3	0.283
	16/47	0.809
	239/2	0.810
	16/35	0.809
	250/2	0.320
	232/2	0.129
	232/3	0.296
	233	0.089
	235	0.890
	236	1.040
	246	2.023
	247	0.806
	248/1	0.405
	248/2	0.360
	239/1	0.809
योग	29	18.472

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 अप्रैल 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 67/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम-छुहीपाली, प. ह. नं. 21

(घ) लगभग क्षेत्रफल-23.070 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
221	0.300
259	0.247
204/3	0.223
284/1	0.926
240	0.073
246	0.473
285/1	0.672
210/4	0.040
247	0.105
282	0.271
222	0.089
224	0.364
211/2	0.146
209/2	0.174
209/4	0.202
217	0.660
223	0.162
204/2	1.416
257/2	0.648
257/4	0.093
213/1	0.809
213/3	0.429
197	0.470
200/1	0.332
272/2	0.154
175	0.405
199	0.388

(1)	(2)
258/1	0.162
262/1	0.231
267/3	1.125
284/2	0.186
284/3	0.049
211/1	0.072
204/5	0.040
204/7	0.437
204/6	0.486
253	0.031
196	1.489
227	0.640
211/4	0.356
210/1	0.028
229/1	0.356
235	0.032
283/3	0.028
218	0.417
230/1	0.109
230/4	0.129
230/7	0.109
262/2	0.223
267/1	0.259
230/2	0.182
230/6	0.162
258/2	0.222
262/3	0.231
232/1	0.473
251/1	0.243
261	0.360
277	0.522
209/3	0.028
254	0.101
255	0.105
204/1	0.101
215/1	0.202
210/2	0.061
210/5	0.057
232/3	0.219
232/5	0.137
241	0.085
262/5	0.096
267/2	0.231
239	0.255
285/2	0.077
285/4	0.093
215/2	0.753
213/2	0.809
योग 75	23.070

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 अप्रैल 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 68/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-नवापारा, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-75.423 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
191	0.186
72	0.975
211	0.324
69/2	0.069
156/2	0.044
156/4	0.089
204/11	0.089
204/6	0.368
1/39	0.809
65	0.559
148/1	0.154

(1)	(2)	(1)	(2)
181/3	0.202	149/1	0.200
1/35	0.607	113/9	0.259
1/34	0.809	1/29	0.809
1/6	0.809	207	0.364
177/2	0.069	74	0.073
140	0.417	163	0.340
172/1	0.154	1/11	0.809
199	1.230	54	0.198
69/1	0.202	66/1	0.134
69/3	0.210	66/2	0.202
80	0.040	108	0.206
148/3	0.093	158	0.129
148/4	0.129	203	0.166
156/5	0.012	172/3	0.486
156/7	0.045	1/10	0.809
204/12	0.648	93/2	0.065
204/4	0.409	173/2	0.101
204/8	0.186	144	0.287
210	0.567	1/33	0.809
105/2	0.065	171	0.506
105/4	0.081	201	0.761
1/36	0.648	1/23	0.809
1/4	0.809	155	1.206
75	0.560	135	0.028
328/1	0.809	52	0.081
59/1	0.158	160/1	0.190
71	0.405	172/2	0.502
73/1	0.308	177/1	0.073
69/4	0.146	156/3	0.097
156/1	0.206	156/6	0.210
204/10	0.081	204/1	0.008
204/2	0.032	204/7	0.672
204/3	0.012	165	0.356
204/5	0.206	173/1	0.829
153	0.502	76	0.624
166	0.624	142	0.372
175	0.134	154	0.328
176	0.316	174/1	0.559
178	0.688	1/16	0.809
[illegible]	0.166	1/27	0.809
1/8	0.202	1/13	0.809
79	0.016	46	0.129
161	1.963	84	0.040
189	0.413	164	0.061
146/1	0.073		

(1)	(2)
167	0.263
169	0.061
136/1	0.162
212	0.352
230	0.680
93/1	0.178
113/2	0.632
113/4	0.332
113/6	0.809
113/8	0.384
107	0.551
160/2	0.190
1/28	0.809
73/3	0.170
105/3	0.441
181/2	0.809
190	0.154
48	0.093
60	0.093
1/9	0.809
168	0.239
157	0.938
338/20	0.607
1/31	0.405
81	0.032
1/30	0.809
1/19	0.607
82	0.032
159	1.356
170	0.312
1/3	0.809
1/32	0.809
1/25	0.809
56/1	0.943
1/2	0.809
134	0.040
338/38	0.809
102	0.146
115/1	0.708
133	0.089
152	0.162
1/17	0.809
1/20	0.405
83	0.073
106/1	1.068
141	0.514
179	2.695
57	0.987
1/12	0.809
1/26	0.809
145	0.397
1/22	0.809
205	0.809
206	1.011
338/14	0.607
338/15	0.607
78	0.914
1/5	1.214
1/7	0.809
1/15	0.405
1/21	0.809
योग 165	75.423

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 अप्रैल 2011

क्रमांक 08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैंजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-दर्राभांठा, प. ह. नं. 01
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.158 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	199/2	0.101
	179/2	0.057
योग	2	0.158

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दर्राभांठा माइनर नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 अप्रैल 2011

क्रमांक/6508/भू-अर्जन/20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा, छ. ग.
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-मुक्ताराजा, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-44.928 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1	0.219
2	0.255
3/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 40/1	0.498
3/2, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2, 40/2	0.494
5	0.020
9	0.134
10	0.036
11	0.049
12	0.040
13	0.085
14	0.134
15	0.304
16/1	0.081
16/2	0.085
17/2	1.193
17/3	0.364
17/4	0.769
17/6	0.364
31	0.389
32	0.510
33	0.364
34	0.040
35/1	0.154
35/2	0.077
35/3	0.073
35/4	0.081
35/5	0.089
35/6	0.073
35/7	0.061
35/8	0.073
35/9	0.065
35/10	0.065
36/1	0.271
36/2	0.304
37/2	0.138
37/3	0.138
38/1	0.045
38/2	0.032
38/3	0.081
38/4	0.154
38/5	0.081
39/1	0.757
39/2	0.312
39/3	0.308
39/4	0.138
41/1	0.150

(1)	(2)	(1)	(2)
41/2	0.150	65/6	0.032
42/1	0.336	66	0.113
42/2	0.405	67	0.081
43/1	0.182	69/2	0.081
43/2	0.182	79/1	0.121
44	0.324	79/2	0.162
45	0.028	80	0.065
46	0.057	82/2	0.061
47	0.008	83/3	0.065
48	0.049	83/4	0.040
49	0.162	85	0.109
50	0.182	86	0.081
52	0.218	90	0.202
53/1	0.109	91/1	0.162
53/2	0.129	91/2	0.162
53/3	0.089	92/1	0.279
53/4	0.097	92/2	0.178
53/5	0.138	92/5, 93/2	0.202
53/6	0.121	92/6	0.097
53/7	0.077	92/7	0.146
53/8	0.105	93/1	0.057
53/9	0.097	94	0.097
53/10	0.020	95/1	0.081
53/11	0.081	95/2	0.028
53/12	0.077	95/3	0.028
53/13	0.073	95/4	0.024
54	0.069	95/5	0.024
55/1	0.287	96	0.049
55/2	0.247	97	0.040
56	0.227	101	0.425
59/1	0.093	102/1	0.121
59/2	0.097	102/2	0.085
60/1	0.154	103/1	0.219
60/2	0.113	103/2	0.129
60/3	0.093	104	0.105
61	0.247	105/1	0.020
62/1	0.405	105/2	0.020
62/2	0.709	106/1	0.045
62/3	0.344	106/2	0.045
63	0.709	107/1	0.251
64/1	0.384	107/2	0.344
64/2	0.384	107/3	0.348
65/2	0.069	107/4	0.146
65/3	0.032	108/1	0.174
65/4	0.065	108/2	0.105
65/5	0.069	108/3	0.174

(1)	(2)
108/4	0.243
109/1, 110/1	0.312
109/2, 110/2	0.304
109/3, 110/3	0.299
111/1	0.239
111/2	0.243
111/3	0.405
112/1	0.478
112/2	0.397
112/3	0.595
112/4	0.316
112/5	0.061
112/6	0.417
112/7	0.470
112/8	0.113
112/9	0.275
112/10	0.231
113/3, 120/1	0.789
120/4	0.769
121	0.583
122/1	0.387
122/2	0.387
122/3	0.393
123/1	0.413
123/2	0.387
123/3	0.368
123/4	0.567
124/1	0.235
124/2	0.113
124/3	0.081
124/4	0.166
125	0.866
126	0.231
127/1	0.805
127/2	0.279
128	0.243
129	0.154
130/1	0.061
130/3	0.483
130/5	0.409
130/6	0.154
130/7	0.267
131	0.081
249/1	0.405
249/2	0.121
249/3	0.117
301/1	0.097
301/2	0.387
302/1	0.142
302/2	0.085
304	0.061
305/1	0.922
305/2	1.295
306	0.405
307/1	0.061
307/2	0.125
307/3	0.061
308/1	0.344
308/2	0.316
308/3	0.316
308/4	0.316
309/1	0.158
309/2	0.061
योग 201	44.928

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 मई 2011

क्रमांक/6577/भू-अर्जन/20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा, छ. ग.
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-सरहर, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-58.828 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
119/2	0.450
119/3	0.502
121	0.445
122	0.008
123	0.053
124	0.109
125/1	0.644
125/2	0.223
125/3	0.510
125/4	0.089
125/5	0.227
125/6	0.336
125/7	0.385
125/8	0.518
125/9	0.202
125/10	0.518
125/11	0.304
125/12	0.194
126	0.040
127	1.335
128	0.012
129	0.036
130/1	0.231
130/2	0.202
130/3	0.243
130/4	0.202
130/5	0.073
130/6	0.251
131/1	0.279
131/2	0.324
131/3	0.142
131/4	0.020
131/5	0.275
131/6	0.045
132/1	0.198
132/2	0.194
132/3	0.198
133/1	0.142
133/2	0.138
134	0.279

(1)	(2)
135	0.263
136/1	0.202
136/2	0.081
136/3	0.380
136/4	0.162
136/5	0.202
136/6	0.526
136/7	0.405
137	0.024
138	0.146
136/8, 142/2	0.020
139/1	0.121
139/2	0.162
140	0.012
141	0.061
142/1	0.223
143/1	0.162
143/2	0.202
143/3	0.186
144/1	0.077
144/2	0.243
145	0.684
146	0.024
147/1	2.586
147/2	0.304
148	0.008
149	0.020
150	0.020
155/1	0.057
155/2	0.405
155/3	0.057
155/4	0.405
155/5	0.182
155/6	0.117
155/7	0.243
155/8	0.105
155/9	0.182
155/10	0.437
156	0.073
157	0.332
158/1	0.643
158/2	0.243

(1)	(2)	(1)	(2)
158/3, 158/4	0.652	164/13	0.263
158/5	0.040	164/14	0.506
158/6	0.324	165/1	0.174
158/7	0.405	165/2	0.162
157/8	0.121	166/1	0.235
158/9	0.202	166/2	0.186
158/10	0.202	166/3, 166/19	0.643
158/11	0.429	166/4	0.405
158/12	0.202	166/5	0.162
158/13	0.202	166/6	0.279
158/14	0.210	166/7	0.024
158/15	0.243	166/8, 166/21	0.364
159/1	0.963	166/9	0.069
159/2	0.636	166/10	0.308
159/3	0.405	166/11	0.194
159/4	0.202	166/12	0.202
159/5	0.202	166/13	0.542
159/6	0.190	166/14	0.214
159/7	0.316	166/15	0.583
159/8	0.275	166/16	0.267
159/9	0.178	166/17	0.024
159/10	0.162	166/18	0.057
160/1	0.316	166/20	0.121
160/2	0.061	166/22	0.498
160/3	0.109	166/23	0.219
160/4	0.134	166/24	0.364
160/5	0.182	166/25	0.101
161	0.607	166/26	0.134
162	0.308	166/27	0.214
163	0.065	166/28	0.312
164/1	0.793	166/29	0.695
164/2	0.283	166/30	0.186
164/3	0.251	166/31	0.142
164/4	0.049	166/32	0.299
164/5	0.340	166/33	0.599
164/6	0.647	166/34	0.117
164/7	0.162	166/35	0.243
164/8	0.129	166/36	0.154
164/9	0.093	166/37	0.559
164/10	0.178	166/38	0.101
164/11	0.057	166/39	0.158
164/12	0.032	166/40	0.093

(1)	(2)
166/41	0.081
166/42	0.146
166/43	0.146
166/44	0.162
166/45	0.162
166/46	0.158
166/47	0.101
166/48	0.057
166/49	0.405
166/50	0.198
166/51	0.344
166/52	0.089
171/1	0.113
171/2	0.251
171/3	0.251
171/4	0.101
171/5	0.202
171/6	0.121
171/7	0.129
172/1	0.263
172/2	0.142
173/1	0.170
173/2	0.392
173/3	0.150
173/4	0.202
174	0.247
175/1	0.206
175/2	1.396
175/3	0.486
175/4	0.445
175/5	0.761
175/6	0.405
186/2	0.186
186/3	0.170
186/4	0.012
186/5	0.004
187/1	0.024
187/2	0.012
188	0.223
189	0.089
190	0.089
191	0.081
192	0.101
193/1	0.117
194/1	0.085
194/2	0.008
195/1	0.053
196/1	0.219
197/1	0.125
200/1	0.324
200/2	0.316
200/3	0.316
201/1	0.559
201/2	0.437
202/2	0.324
202/3	0.202
202/4	0.235
202/5	0.388
204/1	0.354
900/1	0.543
900/2	0.312
1239	0.146
योग 228	58.828

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, छत्तीसगढ़
कालीबाड़ी, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 फरवरी 2011

क्रमांक/खाद्य-सुरक्षा/अ.सू./01/2011/02.—खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 45 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, डॉ. एस. एस. तोमर एवं श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिये खाद्य विश्लेषक के रूप में तत्काल प्रभाव से नियुक्त करती है.

के. सुब्रमणियम,
आयुक्त.

रायपुर, दिनांक 24 फरवरी 2011

क्रमांक/खाद्य-सुरक्षा/अ.सू./01/2011/02.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस कार्यालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24-02-2011 का अंग्रेजी अनुवाद एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

के. सुब्रमणियम,
आयुक्त.

Raipur, the 24th February 2011

No./Food-Safety/NF/01/2011/02.—In exercise of the powers conferred by Section 45 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (No. 34 of 2006), the State Government, hereby, appoints Dr. S. S. Tomar and Shri Akhilesh Kumar Shrivastava as the Food Analysts for the whole State of Chhattisgarh with immediate effect.

K. SUBRAMANIYAM,
Commissioner.

रायपुर, दिनांक 24 फरवरी 2011

क्रमांक/खाद्य-सुरक्षा/अ.सू./02/2011/03.—खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 37 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित व्यक्तियों को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिये खाद्य

सुरक्षा अधिकारी के रूप में तत्काल प्रभाव से नियुक्त करती है :—

स. क्र. (1)	खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम (2)
1.	डॉ. अश्वनी कुमार देवांगन
2.	डॉ. रंजन श्रीवास्तव
3.	डॉ. अजय शंकर कन्नौजे
4.	डॉ. अनिल कुमार शुक्ला
5.	डॉ. दुलार सिंह नरेटी
6.	डॉ. डी. पी. ध्रुवे
7.	डॉ. कमलेश कुमार खेरवार
8.	डॉ. डुमेश्वर सिंह ठाकुर
9.	डॉ. विनोद कुमार भोयर
10.	डॉ. नमीत नन्दे
11.	डॉ. एन. पी. गोंड
12.	डॉ. एम. के. मनहर
13.	डॉ. सी. डी. बाखला
14.	डॉ. राजेश कुमार शुक्ला
15.	डॉ. थलेश्वर सिंह तंवर
16.	डॉ. सिलबेस्तर तिर्की
17.	डॉ. सुनील खेस्स
18.	डॉ. एस. के. जामगडे
19.	डॉ. आर. के. सिंह
20.	डॉ. आर. के. कुरूवंशी
21.	डॉ. एच. एल. ठाकुर
22.	डॉ. डी. के. सिन्हा
23.	डॉ. उदयनाथ दीवान
24.	डॉ. ए. आर. बंजारे
25.	डॉ. संजय मेश्राम
26.	डॉ. एम. एल. बाचोकर
27.	श्री संघर्ष कुमार मिश्रा

के. सुब्रमणियम,
आयुक्त.

रायपुर, दिनांक 24 फरवरी 2011

क्रमांक/खाद्य-सुरक्षा/अ.सू./02/2011/03.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस कार्यालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24-02-2011 का अंग्रेजी अनुवाद एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

के. सुब्रमणियम,
आयुक्त.

Raipur, the 24th February 2011

No./Food-Safety/N.F./02/2011/03.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 37 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (No. 34 of 2006), the State Government, hereby, appoints the following persons as Food Safety Officer for the whole State of Chhattisgarh, with immediate effect :—

Sr. No. (1)	Name of Food Safety Officer (2)
1.	Dr. Ashwani Kumar Dewangan
2.	Dr. Ranjan Shrivastava
3.	Dr. Ajay Shankar Kanoje
4.	Dr. Anil Kumar Shukla
5.	Dr. Dular Singh Nareti
6.	Dr. D. P. Dhruwe
7.	Dr. Kamlesh Kumar Kherwar
8.	Dr. Dumeshwar Singh Thakur
9.	Dr. Vimal Kumar Bhoir
10.	Dr. Namit Nande
11.	Dr. N. P. Gond
12.	Dr. M. K. Manhar
13.	Dr. C. D. Bakhla
14.	Dr. Rajesh Kumar Shukla
15.	Dr. Thaleshwar Singh Tanwar
16.	Dr. Silbester Tirkey
17.	Dr. Sunil Xess
18.	Dr. S. K. Jamgade
19.	Dr. R. K. Singh
20.	Dr. R. K. Kuruwanshi
21.	Dr. H. L. Thakur
22.	Dr. D. K. Sinha
23.	Dr. Udainath Diwan
24.	Dr. A. R. Banjare
25.	Dr. Sanjay Meshram
26.	Dr. M. L. Bachokar
27.	Shri Sangharsh Kumar Mishra

K. SUBRAMANIYAM,
Commissioner.

रायपुर, दिनांक 24 फरवरी 2011

क्रमांक खाद्य-सुरक्षा/आदेश/01/2011/04.—खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 36 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके सम्मुख दर्शित जिलों के लिये अभिहित अधिकारियों के रूप में तत्काल प्रभाव से नियुक्त करती है :—

क्र. (1)	अभिहित अधिकारियों के नाम (2)	क्षेत्र/जिला (3)
1.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	कबीरधाम
2.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	राजनांदगांव
3.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	दुर्ग

(1)	(2)	(3)
4.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	रायपुर
5.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	धमतरी
6.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	महासमुन्द
7.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	बस्तर
8.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	दंतेवाड़ा
9.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	कांकेर
10.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	बीजापुर
11.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	नारायणपुर
12.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	बिलासपुर
13.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	जांजगीर-चांपा
14.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	कोरबा
15.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	रायगढ़
16.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	जशपुर
17.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सरगुजा
18.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	कोरिया

के. सुब्रमणियम,
आयुक्त.

रायपुर, दिनांक 24 फरवरी 2011

क्रमांक खाद्य-सुरक्षा/आदेश/01/2011/04.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक आदेश दिनांक 24-02-2011 का अंग्रेजी अनुवाद एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

के. सुब्रमणियम,
आयुक्त.

Raipur, the 24th February 2011

No./Food-Safety/Order/01/2011/04.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 36 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (No. 34 of 2006), the State Government, hereby, appoints the following persons as Designated Officers for Districts indicated against each with immediate effect :—

Sr. No. (1)	Name of Designated Officer (2)	Area/District (3)
1.	Chief Medical & Health Officer	Kabirdham
2.	Chief Medical & Health Officer	Rajnandgaon
3.	Chief Medical & Health Officer	Durg
4.	Chief Medical & Health Officer	Raipur
5.	Chief Medical & Health Officer	Dhamtari
6.	Chief Medical & Health Officer	Mahasamund
7.	Chief Medical & Health Officer	Bastar
8.	Chief Medical & Health Officer	Dantewara
9.	Chief Medical & Health Officer	Kanker

(1)	(2)	(3)
10.	Chief Medical & Health Officer	Bijapur
11.	Chief Medical & Health Officer	Narayanpur
12.	Chief Medical & Health Officer	Bilaspur
13.	Chief Medical & Health Officer	Janjgir-Champa
14.	Chief Medical & Health Officer	Korba
15.	Chief Medical & Health Officer	Raigarh
16.	Chief Medical & Health Officer	Jashpur
17.	Chief Medical & Health Officer	Sarguja
18.	Chief Medical & Health Officer	Korea

K. SUBRAMANIYAM,
Commissioner.

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला महासमुन्द (छ.ग.)

महासमुन्द, दिनांक 18 अप्रैल 2011

क्रमांक/824/क/खनिज/2011.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 12 के तहत महासमुन्द जिला स्थित सूची में दर्शायेनुसार क्षेत्र चूनापत्थर खनिज के उत्खनिपट्टा हेतु राजपत्र में प्रकाशित दिनांक से 30 दिवस के पश्चात् उत्खनिपट्टा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए उपलब्ध रहेगा.

स. क्र.	ग्राम का नाम	प. ह. नं.	खनिज	तहसील	खसरा नंबर	रकबा	अन्य विवरण
1.	बरबसपुर	86	चूनापत्थर	महासमुंद	212	0.67 हे.	स्वीकृत अवधि समाप्त होने के कारण खुला घोषित किया जा रहा है.

अलरमेलमंगई डी.,
कलेक्टर.

छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
बीज भवन, तेलीबांधा, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2011

क्रमांक-बी-8/भार.अधि./32/2011-12/347.—छ.ग. कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा 2 सहपठित धारा 57 की उपधारा (एक) का खंड "ख" में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, कृषि उपज मण्डी समिति गण्डई जिला राजनांदगांव के लिए निर्वाचित मण्डी समिति की कालावधि का आवसान दिनांक 30-04-2011 को होने से अवसान तिथि के आगामी तिथि से श्री जितेन्द्र नाग, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, छुईखदान को मण्डी समिति, गण्डई, जिला राजनांदगांव का भारसाधक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है.

श्री नाग दिनांक 30-04-2011 के आगामी दिवस के पूर्वान्ह में भारसाधक अधिकारी, मण्डी समिति, गण्डई का पदभार ग्रहण करेंगे.

अनिल कुमार साहू,
प्रबंध संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 6th April 2011

ALLOTMENT RULES, 2011

No. 2006/R.G./2011.—In exercise of the powers conferred by Article 225 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh, in relation to allotment & for other matters connected and incidental thereto in respect of Advocate's chambers, hereby makes the following rules, namely;—

1. These Rules shall be called "The Chhattisgarh High Court Lawyers Chambers (Allotment & Occupancy) Rules, 2011".

2. Allotment of Chambers shall be made by Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh on the receipt of an application in the prescribed format (annexed as schedule 'A') and on the recommendation of a committee of Judges of the High Court of Chhattisgarh, hereinafter called 'The Allotment Committee'.

3. Only advocates practicing in the High Court of Chhattisgarh and who are the members of the Chhattisgarh High Court Bar Association and are also ordinarily residing in the State of Chhattisgarh, shall be considered eligible for allotment of Chambers as per criteria laid down by Hon'ble the Chief Justice on the recommendation of the Allotment Committee from time to time, subject to conditions contained in Rule 5.

4. Hon'ble the Chief Justice in consultation with the Allotment Committee, may allot a Chamber to an Advocate who is physically handicapped or is otherwise deserving.

5 (a) Notwithstanding anything contained in Rule 4, out of the eligible advocates, father/mother and son(s)/daughter(s) or spouse would be eligible for allotment of only one Chamber.

(b) Where more than one eligible Advocate have formed a partnership firm or an association of Advocates, they may be allotted, only one Chamber as Joint Allottee.

Provided that Hon'ble the Chief Justice on the recommendation of the Allotment Committee, may in appropriate cases, release the bar contained in Clauses (a) and (b) above, in case of otherwise eligible Advocates.

6. Two or more eligible Advocates may jointly apply for the allotment of a single Chamber and on each allotment being made, the said allottee(s) shall be jointly and severally liable for the due performance of all the terms and conditions of these Rules.

Provided, however, that if the allotment in respect of any one of the joint allottees is to be cancelled or terminated under these rules, the continuing joint allottees may have a preferential right, having regard to his/their standing at the Bar and his/their need for a Chamber, for continuing as an allottee/joint allottee.

Provided further that the said continuing allottee(s) shall remain in occupation and shall not be liable for eviction till fresh allotment of the Chamber under his/their occupancy is made.

7. Where a Chamber has been exclusively allotted to an individual advocate, he/she may, subsequent to such allotment, apply for the re-allotment of the said Chamber to him/her jointly with another eligible advocate(s), Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh may, on the recommendation of the Allotment Committee, order the same to such other Advocate or Advocates, who are otherwise found eligible for allotment, if the request is *bona fide*.

8. The allotment of accommodation in Lawyer's Chamber Block to counsel representing various agencies of Central Government, State Government, Statutory bodies and other agencies, if not allotted elsewhere, may be considered and made by Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh on the recommendation of the Allotment Committee, on such terms and conditions as may be prescribed.

9. The licence fee and other charges shall be payable also for the period during which the Court remains closed.

10. The licence fee and charges shall be payable, initially at the rate of 2,000/- (Rupees Two Thousand only) per month per chamber. In case, however, one chamber is allotted to two or more advocates jointly, the said charges shall be shared by all the allottees in equal sum. The aforestated charges may vary from time to time, as determined by the High Court.

11. The allottee shall deposit 12 months license fee and other utility charges in advance for the due fulfillment and performance by him of the terms and conditions herein contained. In the event of the allottees committing any breach of the terms and conditions herein contained and of his part to be observed and performed, Hon'ble the Chief Justice may, without prejudice to other rights and remedies, direct to forfeit the same or any part thereof and on such an event, he shall pay such additional sum immediately as may be called upon by Hon'ble the Chief Justice to pay so that 12 months license fee and utility charges shall at all times be maintained during the continuance of the allotment. On the expiration or earlier determination of the licence, the said amount shall be settled and then, the said amount or part thereof, shall be refunded to the allottee, without interest.

12. The allottee shall have no right to claim suspension of licence fee and utilities charges in whole or in part for any reason whatsoever.

13. The allottee shall use the Chamber only as a Lawyers' Office and for no other purpose whatsoever.

14. The Licence Fee and all other charges for each month shall be payable in advance by the Seventh Day of the instant month in Cash or by a cross cheque drawn on a local bank.

15. The allottee shall not part with, in any manner, the user and consequent occupation or possession of the premises to any other person or grant any special user or licence etc. to any person or to transfer or assign the whole or any part of Chamber in favour of any other person. It is expressly intended and meant that the permission given hereunder shall in no event be assignable, or transferable in any form, device, method or arrangement.

16. The allottee shall not make any structural additions or alterations in the Chamber without the consent in writing of Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh or his nominee.

17. The allottee shall, during the currency of the allotment, be responsible for the proper up-keep and maintenance of the Chamber in accordance with the Municipal and Sanitary regulations, which may be applicable and such directions as may be issued by Hon'ble the Chief Justice or his nominee, time to time.

18. The allottee shall, during the currency of the allotment, be responsible for any damage caused to the Chamber or to the service provided therein beyond fair wear and tear and Act of God.

19. No such allottee may use his Chamber before 7.30 a.m. and/or after 6:30 p.m. on any day. The timing may be changed by Hon'ble the Chief Justice on the recommendation of the Allotment Committee.

20. The allottee shall indemnify Hon'ble the Chief Justice/the High Court of Chhattisgarh against any loss or claim preferred against him/it by third parties as a result of acts/omissions by the allottee or his agents.

21. The allottee shall not cause or permit to be caused any damage to the Chamber or to the main Building or any part thereof.

22. The allottee shall not conduct himself in a manner which causes nuisance and annoyance to any adjoining neighbouring allottee, or otherwise.

23. If the allottee at any time, fails or neglects to perform and observe any of the terms and conditions of the Rules herein contained, and on his part to be observed and performed, then in any such case, or for any reason whatsoever, Hon'ble the Chief Justice, may in consultation with the Allotment Committee, without prejudice to other rights and remedies, by giving fifteen days notice in writing to him, determine the licence and the allottee shall, upon such determination, make/hand over vacant possession of the Chamber forthwith, without any right to refund of the advance license fee or a part thereof whatsoever.

24. The allottee shall not impede, in any way, the officers, servants or agents of the High Court in the exercise by them of High Courts' rights of possession and control of the Chamber and in particular, shall give reasonable assistance and facility to such officers, servants or agents for the general up-keep and maintenance of the lay-out decorations, fittings and fixtures of the Chambers.

25. The allotment shall, in no event operate, nor shall be construed so to create, confer or grant any lease or sub-lease, tenancy or sub-tenancy or any right, title or interest into or upon the Chamber in favour of the allottee. The allottee shall, in no circumstances, claim or plead any right to tenancy or sub-tenancy, lease or sub-lease into or upon the chamber or any right in the nature or any right other than that of bare-user.

26. The allotment shall be effective from the date on which the chamber is made available for occupation, in pursuance of an order of allotment. If the Chamber is not occupied within a week of the availability, the allotment, shall be deemed to be cancelled.

27. The allotment shall terminate:-
   a) on its cancellation by Hon'ble the Chief Justice; or
   b) on its surrender by the allottee concerned; or
   c) on the allottee's ceasing to be a member of the High Court Bar Association; or
   d) on the allottee's name being removed from the roll of Bar Council; or
   e) on death.

28. The allottee shall not install in the Chamber any additional electric appliance without the prior permission in writing of Hon'ble the Chief Justice or his nominee.

29. Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh or his nominee may grant permission to an allottee to install and use in the Chamber any additional electric appliances additionally on such conditions and on payment of additional charges, as may be determined by him.

30. Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh may, from time to time and on the advice of the Allotment Committee, make such amendments and additions to these Rules even with retrospective effect, as may be necessary and expedient.

31. If any question arises as to the interpretation of these Rules, the decision of Hon'ble the Chief Justice shall be final and shall not be called in question.

32. Arrears of licence fee etc. may entail cancellation of allotment of Chamber, as determined by Hon'ble the Chief Justice.

33. The Chamber shall be completely under control of the High Court of Chhattisgarh.

Bilaspur, the 8th April 2011

No. 298/Confdl./2011/II-3-1/2011.—The following Civil Judges Class-II as mentioned in Column No. (2) of the table below are, hereby, transferred from the place mentioned in Column No. (3) to the place mentioned in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in

column No. (6) from the date they assume charge of their office, viz. :—

TABLE

Sr. No. (1)	Name of Civil Judge Class-II (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Ku. Nidhi Sharma, Civil Judge Class-II.	Pandariya	Bilaspur	Bilaspur	IX Civil Judge Class-II
2.	Smt. Heemanshu Jain, I Civil Judge Class-II.	Dhamtari	Raigarh	Raigarh	I Civil Judge Class-II
3.	Shri Vivek Kumar Tiwari, Civil Judge Class-II.	Pendra Road	Sanjari Balod	Durg	II Civil Judge Class-II
4.	Smt. Pratibha Verma, II Civil Judge Class-II.	Sanjari-Balod.	Dhamtari	Dhamtari	I Civil Judge Class-II
5.	Smt. Sarita Das, IV Civil Judge Class-II.	Raigarh	Pamgarh	Janjgir-Champa	Civil Judge Class-II
6.	Ku. Sanjaya Ratre, IX Civil Judge Class-II.	Bilaspur	Korba	Korba	Civil Judge Class-II
7.	Shri Anil Kumar Bara, Civil Judge Class-II.	Pamgarh	Raigarh	Raigarh	IV Civil Judge Class-II
8.	Ku. Mohni Kanwar, I Civil Judge Class-II.	Raigarh	Pendra-Road	Bilaspur	Civil Judge Class-II
9.	Shri Krishna Pal Singh Bhadauriya, Civil Judge Class-II.	Korba	Pandariya	Kawardha	Civil Judge Class-II

Bilaspur, the 8th April 2011

No. 300/Confdl./2011/II-3-1/2011.—The following Civil Judges Class-I as specified in Column No. (2) of the table below are, hereby transferred from the place show in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their offices :—

TABLE

S. No. (1)	Name & Presently Posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Devendra Nath Bhagat, IV Civil Judge Class-I.	Raipur	Dongargarh	Rajnandgaon	Civil Judge Class-I
2.	Shri Vinod Kumar Dewangan, Civil Judge Class-I.	Sukma	Korba	Korba	II Civil Judge Class-I

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Shri Daya Sindhu Ganveer, II Civil Judge Class-I.	Raigarh	Mungeli	Bilaspur	Civil Judge Class-I
4.	Smt. Geeta Neware, III Civil Judge Class-I.	Mahasamund	Raipur	Raipur	II Civil Judge Class-I
5.	Smt. Prisilla Paul Horo, II Civil Judge Class-I.	Baikunthpur	Raipur	Raipur	IV Civil Judge Class-I
6.	Shri Shailesh Kumar Ketarap, III Civil Judge Class-I.	Raipur	Kondagaon	Bastar (Jagdalpur)	Civil Judge Class-I
7.	Shri Prabodh Toppo, Civil Judge Class-I.	Pendra Road	Sakti	Janjgir-Champa	Civil Judge Class-I
8.	Shri Srinarayan Singh, II Civil Judge Class-I.	Bilaspur	Gharghora	Raigarh	Civil Judge Class-I
9.	Shri Prafull Sonwani, II Civil Judge Class-I.	Dhamtari	Saraipali	Mahasamund	Civil Judge Class-I
10.	Ku. Sanghpushpa Bhatpahari, II Civil Judge Class-I.	Janjgir-Champa	Dhamtari	Dhamtari	II Civil Judge Class-I
11.	Shri Sheikh Ashraf, Civil Judge Class-I.	Manendra-Garh	Katghora	Korba	Civil Judge Class-I
12.	Shri Liladhar Sarthi, Civil Judge Class-I.	Ambagarh-Chowki.	Balodabazar	Raipur	Civil Judge Class-I
13.	Shri Alok Kumar, Civil Judge Class-I.	Dongargarh	Pendra-Road	Bilaspur	Civil Judge Class-I
14.	Ku. Ranju Rautrai, III Civil Judge Class-I.	Durg	Mahasamund	Mahasamund	III Civil Judge Class-I
15.	Shri Omprakash Singh Chauhan, Civil Judge Class-I.	Mungeli	Sarangarh	Raigarh	Civil Judge Class-I
16.	Shri Harish Kumar Awasthy, Civil Judge Class-I.	Kondagaon	Janjgir-Champa	Janjgir-Champa	II Civil Judge Class-I
17.	Shri Yashwant Kumar Sarthi Civil Judge Class-I.	Saraipali	Manendra-garh	Koriya (Baikunthpur)	Civil Judge Class-I
18.	Shri Ajit Kumar Rajbhanu Civil Judge Class-I.	Gharghora	Ambagarh-Chowki	Rajnandgaon	Civil Judge Class-I
19.	Shri Yashwant Wasnikar Civil Judge Class-I.	Sarangarh	Sukma	Dakshin Bastar (Dantewara)	Civil Judge Class-I

Bilaspur, the 8th April 2011

No. 302/Confdl./2011/II-3-1/2011.—The following Civil Judges Class-I as specified in Column No. (2) of the table below are, hereby, transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their offices :—

TABLE

S. No. (1)	Name & Presently Posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Vijay Kumar Hota, Civil Judge Class-I.	Katghora	Khairagarh	Rajnandgaon	Civil Judge Class-I & Addl. Chief Judicial Magistrate.
2.	Shri Praveen Kumar Pradhan, II Civil Judge Class-I.	Raipur	Bemetara	Durg	Civil Judge Class-I & Addl. Chief Judicial Magistrate.
3.	Shri Khilawan Ram Rigri, Civil Judge Class-I.	Sakti	Surajpur	Surguja (Ambikapur)	Civil Judge Class-I & Addl. Chief Judicial Magistrate.
4.	Shri Chameshwar Lal Patel, Civil Judge Class-I.	Baloda-Bazar	Raipur	Raipur	VI Civil Judge Class-I & Addl. Chief Judicial Magistrate.
5.	Ku. Sanghratna Bhatpahari III Civil Judge Class-I.	Jagdalpur	Jagdalpur	Bastar (Jagdalpur)	II Civil Judge Class-I & Addl. Chief Judicial Magistrate.

Bilaspur, the 13th April 2011

No. 308/Confdl./2011/II-3-14/2000.—On the application of Ku. Neeru Singh, II Civil Judge Class-II, Janjgir, she is, hereby, permitted to change her name as "Smt. Neeru Singh W/o Shri Lavkesh Pratap Singh Baghel" in place of 'Ku. Neeru Singh D/o Shri Todhi Singh'. It is directed that necessary changes be effected in all her records.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
ARVIND KUMAR SHRIVASTAVA, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2011

क्रमांक 31/दो-2-7/2003.—श्री अरविन्द सिंह चन्देल, तत्कालीन प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, दुर्ग वर्तमान पीठासीन अधिकारी, राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, रायपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 24-01-2011 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2007 से 31-10-2009 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.